

धारा 4(1) ब

8

बोर्ड, परिषद, कमेटी तथा निकायों जिनमे दो या अधिक व्यक्ति उसके गठन के भाग के रूप में रखे गये हैं का विवरण और इस बात का विवरण कि क्या उन बोर्ड, परिषद, कमेटी तथा निकायों के सम्मिलन पब्लिक के लिए खुले हैं और क्या ऐसे सम्मिलनों के विवरण पब्लिक के लिए पहुँच योग्य हैं।

निरंक